



# कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रत्नाम

सैलाना रोड, ग्राम बंजली, रत्नाम (मोप्र)

ईमेल:- [deenratlamam@gmail.com](mailto:deenratlamam@gmail.com)

वेबसाइट :- [www.gmernratlam.org](http://www.gmernratlam.org)

कार्यालय द्रग्भाश नंबर :- 07412-284226 पिनकोड :- 457001

DONATE ORGAN - SAVE LIFE

अंगदान करें - जीवन बचाएं

क्रमांक : ७०५३ / रथा / जी.एम.सी. / २०२१

रत्नाम, दिनांक :- २६/३/२०२१

## // कार्यालयीन आदेश //

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ २-०६/२०१८/१-५५ भोपाल दिनांक ०७.०४.२०१८ द्वारा शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रत्नाम में स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श सेवा नियम २०१८ एवं संचालनालय चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. ८०३/रथा/अराज/२०१८ भोपाल दिनांक २०.०९.२०१८ द्वारा प्राप्त परिचारिका संवर्ग की अनुसूची के आधार पर शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रत्नाम अन्तर्गत स्टॉफ नर्स के रिक्त पदों पर एम.पी.अॅनलाईन के माध्यम से जारी विज्ञापन के अनुसार प्राप्त प्रतिक्षा सूची के आधार पर पात्र अभ्यार्थियों को अनन्तिम रूप से म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय विकित्सकीय आदर्श सेवा नियम २०१८ के तहत वेतनमान रूपये २८७००/- सातवें वेतनमान अनुसार (वेतन लेवल ५) निर्मांकित स्टॉफ नर्स को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक इस स्वशासी संरक्षा में नियुक्त किया जाता है :-

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	श्रेणी	पदनाम
1	2	3	4	5
1	तन्जीम मुल्तानी	सिराजुद्दीन मुल्तानी	OBC	स्टॉफ नर्स
2	कीर्ति सोनी	पवन कुमार सोनी	OBC	स्टॉफ नर्स
3	सुमित्रा	छोगालाल	OBC	स्टॉफ नर्स
4	कविता यादव	भगवान् यादव	OBC	स्टॉफ नर्स
5	पिंकी राठौर	रामजीलाल राठौर	OBC	स्टॉफ नर्स
6	रत्नप्रिया	मुरारीलाल टाडिया	OBC	स्टॉफ नर्स
7	विमला झारे	जीवनलाल बोरबन	OBC	स्टॉफ नर्स

### आपकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

- १) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-७-४६/९९/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक ०७ नवम्बर २००० में दिये गये निर्देशों के तहत अनारक्षित (ओपन) पदों पर चयन हेतु निर्धारित मापदण्ड के तहत आरक्षण वर्ग के वे ही आवेदक ऐसे ओपन पदों पर चयनित किये गये हैं जो कि हर प्रकार की रियायत को प्राप्त किये बिना तथा मेरिट में आने पर ही आरक्षित वर्ग के उमीदवारों का चयन मेरिट गुणानुक्रम के आधार पर अनारक्षित पदों पर किया गया है।
- २) यह नियुक्ति अपेक्षित आरक्षण के संबंध में माननीय उच्चत न्यायालय/उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के निर्णय के अधीन होगी।
- ३) चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अथवा कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल पश्चात जिला चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपरित्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं रखरखता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- ४) म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) तथा म.प्र. शासन के अन्य नियम लागू होंगे।
- ५) नियुक्त कर्मचारी को पेशन की पात्रता नहीं होगी किंतु एनपीएस की पात्रता होगी जो उनके मूलवेतन से १० प्रतिशत हेतु आधार पर या जो भी शासन द्वारा निर्धारित परवर्तित दर से काटा जायेगा एवं उतना ही भाग स्वशासी संरक्षा द्वारा अपने अंशदान स्वरूप के रूप में देय होगा।
- ६) चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के दिनांक से अधिकतम ०७ दिवस में अनिवार्यत कार्यभार ग्रहण करना होगा।
- ७) आपकी सेवाएं किसी भी समय नियोक्ता द्वारा ०१ माह का नोटिस देकर या उसके एवज में ०१ माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी।
- ८) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्र. सी ३-१३/२०१९/३/एक भोपाल दिनांक १२ १२ २०१९ में दिये गये निर्देशानुसार इन्हे तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष ७० प्रतिशत, द्वितीय वर्ष ८० प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष ९० प्रतिशत राशि रटायपेड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।
- ९) आपकी वरिष्ठता संरक्षा की वरिष्ठता क्रमानुसार ही रहेगी।
- १०) इस नियुक्ति में आरक्षण संबंधी समरक प्राक्षणों को ध्यान में रखा गया है।
- ११) आपकी नियुक्ति इस स्वशासी संरक्षा की सेवा शर्तों के अधीन होगी। संरक्षा अपनी सेवा शर्तों में आशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।

(2)

- 12) एक बार इस संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात आपकी सेवाएं अन्य संस्थाओं को रखाना नहीं होगी।
- 13) उपरिख्यति दिनांक को सम्पूर्ण प्रमाण-पत्र, उपाधियों एवं अन्य प्रमाण पत्र की अभिप्राणित छायाप्रतिया जमा करना होगी तथा मूल प्रतियाँ प्रत्युत करना होगी।
- 14) संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी अवैध गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
- 15) चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरिफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही मान्य होगी।
- 16) संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड्डताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
- 17) शासन द्वारा समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तों में परिवर्तन किये जा सकते हैं यह परिवर्तन संबंधी शर्त में भी हो सकता है।
- 18) भविष्य में यदि कभी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पायी जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- 19) इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करते हुए किसी भी अन्य संस्था में रोजगार के लिये सीधे आवेदन नहीं दे सकते।
- 20) बिना पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृत के अवकाश पर नहीं जा सकते।
- 21) म.प्र. शासन, गृह विभाग की अधिसूचना की अधिसूचना क एफ 3597 /2009 /दो/सी-1, दिनांक 26/12/2010 द्वारा प्रदेश के सभी अस्पतालों तथा प्रदेश के सभी स्तरों के समरत शासकीय चिकित्सालयों/ औषधालयों/ स्वास्थ्य केन्द्रों/ स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित किया गया है। अतः इनमें जुड़ा कोई भी अमला अपनी सेवाये देने से अत्यावश्यक सेवा संधरण तथा विच्छिन्नता निवारण (एरमा) अधिनियम, 1979 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।
- 22) स्टॉफ नर्स को न्युनतम 03 वर्ष की सेवाएं देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर उसे 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि इस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रत्लाम को चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।


  
DEAN  
Government Medical College  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
शासकीय स्वशासी चिकित्सामहाविद्यालय रत्लाम

क्रमांक : ७०४५-१२ /स्था. /जी.एम.सी./ 2021

रत्लाम, दिनांक :- 26/7/2021

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1) प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- 2) संभागायुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन।
- 3) आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल।
- 4) संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल।
- 5) अस्पताल अधीक्षक सह संयुक्त संचालक, शा.चि.महा रत्लाम।
- 6) रथानीय लोगों शास्त्र विद्यालय रत्लाम की ओर भेजकर लेख है कि म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्र. सी 3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार इन्हे तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्युनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टाय पेड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
- 7) सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय रत्लाम।
- 8) संबंधित स्टॉफ नर्स की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 9) कार्यालय आदेश नहिं।

  
DEAN  
Government Medical College  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
शासकीय स्वशासी चिकित्सामहाविद्यालय रत्लाम